



प्रेस नोट 01- दिनांक 01.08.2024

थाना आसीवन, जनपद उन्नाव

**पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में महिला की हत्या का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी तथा क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा पैसे के लेनदेन को लेकर हुई महिला की हत्या के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 31.07.2024 को थाना आसीवन क्षेत्रांतर्गत ग्राम पेसारी निवासिनी विमला पत्नी स्व० उमाशंकर उम्र करीब 60 वर्ष की पड़ोस के ही रहने वाले हरिभान पुत्र रामभजन उम्र करीब 55 वर्ष द्वारा पैसे के लेनदेन के विवाद को लेकर सिर पर ईंट से हमला कर हत्या कर दी थी। जिसके संदर्भ में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 199/2024 धारा 191(2)/133/103(2)/352/351(3) BNS बनाम हरिभान उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 01.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक आसीवन मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त हरिभान यादव उर्फ पप्पू पुत्र रामभजन यादव उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम पेसारी थाना आसीवन जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हरिभान यादव उपरोक्त द्वारा बताया गया कि विमला देवी ने अपना मकान बनवाने व अन्य काम के लिए मुझसे 3 लाख 50 हजार रु० नकद लिया था व विमला देवी ने रहने के लिए लोहे की चादरे मुझसे ली थी। जब मेरे द्वारा पैसा वापस मांगा गया तो पैसा देने से मना कर दिया, रुपये न देने को लेकर आपस में कहासुनी होने लगी तो मैंने गुस्से में आधी ईंट (पक्की) उठाकर विमला के सिर पर मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल आधी ईंट (पक्की) बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा मे लेने हेतु भेजा जा रहा है।



### **अभियुक्त का विवरण**

हरिभान यादव उर्फ पप्पू पुत्र रामभजन यादव उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम पेसारी थाना आसीवन जनपद उन्नाव

**बरामदगी-** आलाकत्ल आधी ईंट (पक्की) बरामद

### **गिरफ्तारी करने वाली टीम**

1. श्री ज्ञानेन्द्र सिंह (प्रभारी निरीक्षक आसीवन)
2. उ०नि० श्री रामऔतार
3. हे०का० उमेश सैनी
4. का० रितेश पटेल



प्रेस नोट 02- दिनांक 01.08.2024

थाना असोहा, जनपद उन्नाव

### पांच वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना असोहा पुलिस द्वारा पांच वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-** आज दिनांक 01.08.2024 को उ0नि0 श्री अनिल कुमार राजपूत मय हमराह पुलिस बल द्वारा वारंटी अभियुक्तगण- 1.श्यामसुन्दर पुत्र बुद्धीलाल 2. संतराम पुत्र चन्द्रिका प्रसाद 3. अखिलेश पुत्र श्यामसुन्दर निवासीगण ग्राम नेवादा थाना असोहा उन्नाव संबंधित केश नं0 1889/24 धारा 323/504 भादवि 4. पंकज उर्फ बीरपाल पुत्र दयाराम 5. दयाराम पुत्र जगदीश उर्फ गोकुल निवासी ग्राम परौरा थाना असोहा उन्नाव संबंधित केश 2140/21 धारा 323/504 भादवि को ग्राम नेवादा व परौरा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### अभियुक्तों का विवरण

- 1.श्यामसुन्दर पुत्र बुद्धीलाल नि0 नेवादा थाना असोहा जनपद उन्नाव
- 2.संतराम पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि0 नेवादा थाना असोहा जनपद उन्नाव
- 3.अखिलेश पुत्र श्यामसुन्दर नि0 नेवादा थाना असोहा जनपद उन्नाव
- 4.पंकज उर्फ बीरपाल पुत्र दयारा नि0 परौरा थाना असोहा उन्नाव
- 5.दयाराम पुत्र जगदीश उर्फ गोकुल निवासी ग्राम परौरा थाना असोहा उन्नाव

### गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार राजपूत
2. का0 संतोष भारद्वाज
3. का0 नकुल प्रताप
4. का0 संजू यादव

